

**एपीएल / स्टेट बीपीएल / बीपीएल / अन्त्योदय राशन कार्ड में यूनिट संशोधन  
पता परिवर्तन एवं डुप्लिकेट राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदन फार्म प्रपत्र - ब**

प्रपत्र नं. ....

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

आवेदन संख्या/दिनांक  
.....

एपीएल/स्टेट बीपीएल/बीपीएल/अन्त्योदय राशनकार्ड में जारी यूनिटों में संशोधन, पता परिवर्तन एवं डुप्लिकेट राशन कार्ड बनाये जाने का आवेदन पत्र

**1. सामान्य विवरण :- 'A' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है।**

|                                                             |                                                                            |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| राशन कार्ड संख्या (12 डिजिट)                                |                                                                            |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |  |
| राशन कार्ड में दर्ज मुखिया का नाम                           |                                                                            |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |  |
| मुखिया के पिता का नाम                                       |                                                                            |  |  |  |  | माता का नाम                                          |  |  |  |  |  |
| मोबाइल नम्बर                                                |                                                                            |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |  |
| ई. गेट पता                                                  |                                                                            |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |  |  |
| राशन कार्ड में दर्ज पता                                     | मकान नम्बर/मकान का नाम                                                     |  |  |  |  | मौहल्ला/कोलोनी/लैंड मार्क/लोकैलिटी                   |  |  |  |  |  |
| पंचायत समिति<br>(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)            | ग्राम पंचायत:<br>(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)                          |  |  |  |  | ग्राम/वार्ड सं :<br>(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू) |  |  |  |  |  |
| नगर निगम/नगर पालिका/परिषद:<br>(केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू) | नगर निगम/नगर पालिका/परिषद का वार्ड नम्बर:<br>(केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू) |  |  |  |  | जिला:<br>पिन नम्बर                                   |  |  |  |  |  |

फोटो आवेदक  
(मुखिया)

आवेदक के हस्ताक्षर

2. मेरा उक्त राशनकार्ड उचित मूल्य दुकान सं....., नाम दुकानदार..... का था जो विरूपित हो/ गुम/फट गया है। अतः डुप्लिकेट जारी करे। खोये हुए राशन कार्ड की फोटोप्रति/कटा-फटा राशन कार्ड संलग्न है। खोया हुआ राशन कार्ड मिलने पर मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैंने राशन कार्ड खोने की सूचना भी सम्बंधित उचित मूल्य दुकानदार को दे दी है।
3. मैं निवास स्थान बदलने के कारण राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तन हेतु आवेदन करता/करती हूँ कृपया निम्नानुसार मेरे राशन कार्ड में दर्ज पता परिवर्तित करें-

|                                                                                                  |                                                                            |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| राशन कार्ड में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में नया पता 'A' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। | मकान नम्बर/मकान का नाम                                                     | मौहल्ला/कोलोनी/लैंड मार्क/लोकैलिटी                   |
| पंचायत समिति<br>(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)                                                 | ग्राम पंचायत:<br>(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)                          | ग्राम/वार्ड सं :<br>(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू) |
| नगर निगम/नगर पालिका/परिषद:<br>(केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)                                      | नगर निगम/नगर पालिका/परिषद का वार्ड नम्बर:<br>(केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू) | जिला:<br>पिन नम्बर                                   |

बिंदु 3 हेतु मैं जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति/कच्ची बस्ती सर्वे युक्त सम्पत्ति/मैं किराये के मकान में निवास करता हूँ।

या राजस्थान राज्य से बाहर निवास करने के कारण समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ।

**4. मैं निम्नांकित नामों को सम्मिलित करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ-**

| क्र. सं. | नाम* | पिता का नाम* | पिता का नाम* | जीवन साथी का नाम यदि विवाहित है तो | लिंग*<br>M/F/Other | जन्म दिनांक * | मुखिया से संबंध* | यूनिक आईडी (UID/ आधार) क्रमांक | विकलांग (हां/ना) | विधवा/परित्यक्ता (हां/ना) |
|----------|------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1        |      |              |              |                                    |                    |               |                  |                                |                  |                           |
| 2        |      |              |              |                                    |                    |               |                  |                                |                  |                           |
| 3        |      |              |              |                                    |                    |               |                  |                                |                  |                           |
| 4        |      |              |              |                                    |                    |               |                  |                                |                  |                           |

नोट - 'A' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की अधिक होने पर क्रम सं 4 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ दें।

**5. मैं निम्नांकित नामों को मेरे परिवार राशन कार्ड से घटाने/समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ-**

| क्र. सं. | नाम* | लिंग*<br>M/F/Other | मुखिया से संबंध* | घटाने का कारण | समर्पण प्रमाण पत्र कहाँ के लिए जारी करना है |
|----------|------|--------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 1        |      |                    |                  |               |                                             |
| 2        |      |                    |                  |               |                                             |
| 3        |      |                    |                  |               |                                             |
| 4        |      |                    |                  |               |                                             |
| 5        |      |                    |                  |               |                                             |
| 6        |      |                    |                  |               |                                             |

नोट - 'A' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की अधिक होने पर क्रम सं 6 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ दें।

हस्ताक्षर आवेदक

6. राशनकार्ड की विशिष्टियों की त्रुटियों में परिवर्धन/संशोधन - उदाहरणार्थ वर्तनी शुद्धि, पिता/माता का नाम, पता, गैस कनेक्शन सम्बन्धी विशिष्टियां, जलकनेक्शन सम्बन्धी प्रविष्टियां, उचित मूल्य दुकान विवरण की प्रविष्टियां, राशनकार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों के नाम, जन्म दिनांक व मुखिया से सम्बन्ध में संशोधन करवाने के लिए जारी मूल राशनकार्ड में अशुद्धि/वांछित परिवर्धन योग्य विशिष्टि पर आवेदक द्वारा गोला कर सही विशिष्टि स्वयं के हस्ताक्षर से अंकित की जावे तथा मूल राशनकार्ड आवेदन फार्म के साथ संलग्न किया जावे। यदि त्रुटि आवेदक के मूल फार्म में भरी गयी सूचना से मिलान करती है तो आवेदक को परिवर्धन एवं संशोधन के सम्बन्ध में दस्तोवज प्रस्तुत करने होंगे।

**परिवर्धन/संशोधन का संशुद्धि विवरण-**

**7. धोखाधड़ी:-**

नोट- धोखाधड़ी का जो बिंदु लागू नहीं हो उसे काट देवे।

- (क) मेरा आयकर विभाग का पेन क्रमांक ..... है। मेरे राशन कार्ड में "मैं आयकर दाता हूँ/नहीं हूँ" अंकित है जिसके स्थान पर ..... लिखा जावे क्यों कि मैं आयकर दाता हूँ/नहीं हूँ।
- (ख) मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन नं. .... गैस एजेंसी ..... डीबीसी/एसबीसी अंकित है जिसके स्थान पर गैस कनेक्शन नं. .... गैस एजेंसी ..... डीबीसी/एसबीसी अंकित किया जावे या मेरे पास गैस कनेक्शन नहीं है अतः मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन सम्बंधित प्रविष्टि हटाई जावे।
- (ग) मेरा क्रम बीपीएल घनन सूची वर्ष ..... क्रमांक ..... वार्ड ..... में/अन्त्योदय सूची वर्ष ..... क्रमांक ..... वार्ड ..... में है किन्तु मुझे .....श्रेणी का राशन कार्ड जारी कर दिया है अतः राशन कार्ड संलग्न कर निवेदन है कि मुझे .....श्रेणी का राशन कार्ड जारी किया जावे।
- (घ) इस प्रपत्र के बिंदु 4 में वांछित सदस्यों का नाम पहले से किसी भी अन्य प्रचलित राशनकार्ड में नहीं है और ना ही इस हेतु पहले कहीं आवेदन किया गया है न ही कोई सदस्य सेना से राशन लेता है।
- (ङ) इस प्रपत्र के बिंदु 3 हेतु मैं जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति है/मैं किराये के मकान में निवास करता हूँ।
- (च) इस प्रपत्र के बिंदु 5 में श्री/श्रीमती/सुश्री ..... का नाम विवाह/मृत्यु/तलाक/परित्यक्ता/स्थानान्तरण/अलग निवास/अलग रसोई होने के कारण घटाने के लिए आवेदन किया गया है। श्री ..... रिश्ते में मेरे ..... (मृतक से सम्बन्ध) है, इनकी मृत्यु के बाद मैं ही घर में वरिष्ठ सदस्य हूँ, इनके राशन कार्ड में मेरा नाम दर्ज है, अतः इनका नाम विलोपित करते हुए मेरे नाम से परिवार मुखिया के रूप में परिवर्धित राशन कार्ड जारी करें।
- (छ) इस प्रपत्र के बिंदु 6 के क्रम में मेरे द्वारा मूल राशन कार्ड में मेरे द्वारा अशुद्धि/वांछित परिवर्धनीय विशिष्टि पर गोला कर शुद्ध वर्तनी/परिवर्धित विशिष्टि अंकित की गयी है जिसे मेरे राशन कार्ड में शुद्ध किया जावे।
- (ज) मैं और मेरा परिवार राशनकार्ड का उपयोग राशन वस्तुये प्राप्त करने के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु नहीं करेगा।
- (झ) मुझे पता है कि राशनकार्ड सरकार की सम्पत्ति है। इसे जब भी सक्षम अधिकारी प्रस्तुत करने को कहेंगे मैं प्रस्तुत कर दूंगा। तथ्यों की जांच कभी भी की जा सकती है। गलत सूचना पाये जाने पर मेरा राशनकार्ड निरस्त किया जा सकता है तथा कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (ञ) इस प्रपत्र के बिंदु 1 से 7 में दी गई समस्त जानकारी सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर आवेदक

**सत्यापन**

इस प्रपत्र के बिंदु 3 हेतु मैं दिए गए मकान के पते पर श्री.....पुत्र श्री.....परिवार सहित अवधि.....से निवास कर रहे है। यह मकान मेरी निजी सम्पत्ति है। (बिंदु 3 लागू होने पर ही सत्यापन कराया जाना है)

हस्ताक्षर मकान मालिक

**कार्यालय/कियोस्क द्वारा कार्यवाही**

**चैक लिस्ट**

क्या आवेदक द्वारा आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ स्वयं, मकान मालिक के हस्ताक्षर एवं फोटो सहित प्रस्तुत किया है?

हाँ/नहीं

संलग्न दस्तावेजों का विवरण:-

1. पूर्व वर राशनकार्ड निरस्तीकरण बाधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल समर्पण प्रमाण पत्र।
2. निवास बाधित प्रमाण यथा बिजली/पानी बिल, नगर निकाय की गृहकर रसीद, वोटर पहचान पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति।
3. नवविवाहिता का नाम दर्ज कराने हेतु पिता के राशनकार्ड से नाम कम कराने/शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र।
4. बच्चे का नाम दर्ज कराने हेतु नगर निगम/नगरपालिका/पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र बच्चा गोद लेने के सर्टिफिकेट की प्रति।
5. डुप्लीकेट राशनकार्ड हेतु पूर्व प्रचलित कार्ड की फोटोप्रति/शपथ पत्र। या कटा/फटा/विरूपित राशनकार्ड
6. मूल राशन कार्ड।
7. उम्र में परिवर्तन कराने हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
8. नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/तलाकनामे की स्वप्रमाणित प्रति/ परित्यक्ता का स्व प्रमाणित शपथ पत्र ।
9. नाम में परिवर्तन हेतु प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित शपथ पत्र अथवा राजकीय मुद्रणालय से जारी गजट की स्वप्रमाणित फोटोप्रति।
10. स्व प्रमाणित शपथ पत्र।
11. नाम जुड़वाने के लिए समर्पण प्रमाण पत्र।
12. अन्य.....

हस्ताक्षर लिपिका/कियोस्क धारी

संलग्नकार्ड की कुल पंज संख्या.....